भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1216

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

निजी माइक्रोफाइनेंस कंपनियां

1216. श्रीमती पूनम महाजन:
कुमारी राम्या हरिदास:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर अंतिम उधारकर्ताओं को प्रभावित करने वाली ब्याज दरों या अन्य मापदंडों पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने कोई अध्ययन किया है कि ग्रामीण ऋण का निजीकरण अंतिम उधारकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं को कैसे प्रभावित करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क), (ख) और (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एमएफआई) सहित सभी वित्तीय सूक्ष्म वित्त संस्थानों का विनियामक होने के कारण, सूक्ष्म-वित्त ऋण की ब्याज दर निर्धारित करने संबंधी विनियामक अवसंरचना 14 मार्च, 2022 को जारी कर चुका है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विनियमित संस्था सूक्ष्म-वित्त ऋणों के ब्याज-दर के निर्धारण के संबंध में एक बोर्ड-अनुमोदित नीति लागू करेगी। इन निदेशों, में अन्य बातों के साथ-साथ, सर्व-समावेशी ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए सुप्रलेखित ब्याज दर मॉडल; विषय संबंधी मापदंडों के आधार पर प्रत्येक घटक की मात्रा के संदर्भ में निधियों की लागत, जोखिम प्रीमियम और मार्जिन आदि जैसे ब्याज दर के घटकों का उल्लेख; उधारकर्ताओं की उल्लिखित श्रेणी के लिए प्रत्येक घटक के विस्तार की सीमा; और सूक्ष्मवित्त ऋणों पर लागू ब्याज दर और अन्य सभी प्रभारों की सीमा निर्धारित करने को कवर किया गया है।

(घ) और (ङ): ग्रामीण विकास मंत्रालय और नाबार्ड द्वारा दी गया सूचना के अनुसार, विगत दो वर्ष में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालाँकि, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने वर्ष 2022 में "भारत की अर्थव्यवस्था में माइक्रोफाइनेंस के वर्तमान और संभावित योगदान" पर एक अध्ययन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण के सामाजिक अथवा गैर-आर्थिक लाभ, प्रमुख क्षेत्र के रूप में महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला गया है।

*****